

**Form D-1****नये राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र**

आवेदन पत्र संख्या .....

**खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा**

फार्म डी - 1

पूरा विवरण स्पष्ट अक्षरों में भरे।

- आवेदक का नाम.....
- माता/पिता/पति का नाम.....
- घर का पूरा पता: मकान नं0..... वार्ड नं0..... सैक्टर.....  
मोहल्ला/गली..... गाँव/शहर..... फोन नं0.....
- व्यवसाय/पद पता सहित: .....
- गैस कनेक्शन है या नहीं..... यदि है तो उपभोक्ता क्रमांक.....  
सिलेण्डर की संख्या..... गैस एजेन्सी का नाम.....
- क्या आप सरेण्डर सर्टिफिकेट जमा/संलग्न कर रहे हैं अथवा नहीं.....
- क्या आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है या नहीं.....  
यदि है तो उसका विवरण: नाम..... व्यवसाय..... पैन नं0.....
- सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय.....
- परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण:

- सभी सदस्यों का ग्रुप फोटो यहाँ चिपकाये।
- एक ग्रुप फोटो अलग से दें।
- वितरण केन्द्र में बाहर से आये उपभोक्ता सरेण्डर सर्टिफिकेट भी जमा करवायें।

क्र०सं०	नाम	आयु	पिता/पति का नाम	आवेदक के साथ सम्बन्ध
				स्वयं

तिथि .....

आवेदक के हस्ताक्षर/निशान अंगुठा

## घोषणा

मैं एतद् घोषणा करता/करती हूँ कि:

1. उपरोक्त दी गई सूचना सही है।
2. मैं भारत का नागरिक हूँ।
3. कॉलम 8 में शामिल सदस्यों में से किसी भी सदस्य का भारत वर्ष में किसी भी स्थान पर कोई राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और न ही किसी अन्य राशन कार्ड में यह नाम दर्ज है। न ही कोई सदस्य सेना से राशन लेता है।
4. उपरोक्त दिये गये पते पर मैं.....वर्ष/दिनांक.....से रहता हूँ।
5. इससे पूर्व पाँच वर्षों में निम्न लिखित स्थानों पर रहा हूँ:-  
पता..... पता..... पता.....
6. ऊपर दिये गये पते पर भी मैंने अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई राशन कार्ड नहीं बनवाया। मैं यह भी बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा जो घोषणा की गई है वह बिलकुल सत्य व ठीक है। गलत बयानी के कारण दोषी पाये जाने पर मैं दण्डनीय नियमों के तहत दण्ड का भागी हूँगा।
7. मैं अपना राशन कार्ड स्वयं विभाग के कार्यालय/ई-दिशा सेन्टर से प्राप्त करना चाहता हूँ।  
या  
मैं अपना राशन कार्ड डाक के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने अतिरिक्त फीस 25/- रुपये विभाग के पास जमा करवा दिये है।

आवेदक के हस्ताक्षर

मोबाईल नं0.....

ई-मेल.....

गलत सूचना देने वाले आवेदक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

### केवल कार्यालय प्रयोग के लिये

निरीक्षण करने वाले कर्मचारी/अधिकारी की सत्यापित रिपोर्ट आज दिनांक..... को आवेदक के पड़ोसी श्री/श्रीमति..... निवासी मकान नं0..... से सम्पर्क किया गया। आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही पाये गये। दिये गये पते पर रह रहे व्यक्तियों का विवरण निम्न अनुसार है:-

व्यस्क

बच्चे

शिशु

कुल सदस्य

या

परिवार फॉर्म में दिये गये पते पर नहीं रहता।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

तिथि:

जारी किये गये राशन कार्ड की संख्या..... वार्ड नं0..... मकान नं0.....

डी-4 नं0..... यूनिट..... श्रेणी.....

राशन कार्ड बनाने वाले  
कर्मचारी के हस्ताक्षर  
तिथि:

अधिकारी के हस्ताक्षर जिसने  
इन्द्राज डी-4 रजिस्टर में नाम  
दर्ज किया है।  
तिथि:

वितरण कार्ड जारी करने वाले  
अधिकारी के हस्ताक्षर  
तिथि:

राशन कार्ड प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर तिथि सहित: .....

**विशेष: यदि आवेदक अपना राशन कार्ड डाक के माध्यम से चाहता है तो उसके लिए ₹0 25/- अलग से ई-दिशा सेन्टर में जमा कराए।**

### आवेदन प्राप्ति रसीद

#### Form D-1

आवेदन क्रमांक.....

समय सीमा: 15 कार्य दिवस

श्री/श्रीमति .....से नये राशन कार्ड हेतु आवेदन आज दिनांक ..... को प्राप्त हुआ।

तिथि:.....

(हस्ताक्षर)

सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी

नाम व पद.....

खाद्य एवं पूर्ति,.....